न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 27/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2019/00063

प्रार्थी:– भीकाराम पुत्र करणाराम जाति सुथार निवासी पांचवा कलां तहसील सोजत

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. मोतीसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपूत निवासी पांचवा कला तहसील सोजत
2. सरपंच ग्राम पंचायत चाड़वास तहसील सोजत
3. सरपंच ग्राम पंचायत झूपेलाव तहसील सोजत

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह राजपूत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 11/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 64 दिनांक 20.01.1991, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 28.06.1991 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 251 दिनांक 28.06.1991 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता का पट्टासुदा व कब्जासुदा मकान व नोहरा ग्राम पांचवा कलां में आया हुआ है, जिसका पंट्टा संख्या 167 दिनांक 18.01.1986 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत चाड़वास में वर्ष 1991 में अप्रार्थी संख्या 1 वार्डपंच था तथा प्रार्थी के पिता के पट्टेसुदा भूमि का अपने नाम से पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 के मकान के पश्चिम में सार्वजनिक चौक व आम रास्ता आया हुआ है जिसका अप्रार्थी ने विधिविरूद्ध तरीके से अपने नाम का जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे में विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत का वार्डपंच होने के साथ ही जैर निगरानी पट्टे की कमेटी का सदस्य भी था। अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टा जारी करने हेतु न तो ग्राम पंचायत में राशि जमा करवायी, न ही आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा गवाहों के बयान भी आधे–अधुरे है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरामावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 64 दिनांक 20.01.1991, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 28.06.1991 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 251 दिनांक 28.06.1991 के विरूद्ध पेश की है। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है, जिसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा जारी पट्टा संख्या 167 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार पूर्व दिशा में मोतीसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में जब्बरसिंह का मकान, उत्तर दिशा में मकान व नोहरा तथा दक्षिण दिशा में धन्नाराम व मोतीसिंह का मकान अंकित है जबकि जैर निगरानी पट्टे में अंकित चतुर्दशी अनुसार उत्तर दिशा में रास्ता, गली व चुन्नीलाल वगेरा, दक्षिण दिशा में हिम्मतसिंह वगेरा, पश्चिम दिशा में धनाराम व रास्ता तथा पूर्व दिशा में आम रास्ता अंकित है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.05.2016 के अनुसार भी जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का जहा दरवाजा है, वहां दरवाजे के बीच तक ही मोतीसिंह के प्लॉट का भाग हैं। प्रार्थी का पट्टा पूर्व में 1986 में बना हुआ है व पड़ौसी द्वारा बनाया गया जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1991 में, जो बाद में बनाया गया वह संदिग्ध प्रतीत होता है। पत्रांवली पर उपलबध दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया हो हालांकि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जैर निगरानी पट्टे की आड़ में अप्रार्थी ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.05.2016 के अनुसार भी जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का जहा दरवाजा है, वहां दरवाजे के बीच तक ही मोतीसिंह के प्लॉट का भाग हैं। प्रार्थी का पट्टा पूर्व में 1986 में बना हुआ है व पड़ौसी अप्रार्थी द्वारा बनाया गया जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1991 में, जो बाद में बनाया गया वह संदिग्ध प्रतीत होता है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स एवं मौका कमिनश्नर रिपोर्ट के तुलनात्मक अध्ययन से प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1984 RLW 528 (a) - The colelctor may be justified in holding that the land which forms part of the public way cannot be sold by the Gram panchayat because those lands which form part of the public streets and pathways are vested in the Gram panchayat only as a trustee thereof and the gram panchayat has no right to dispose of the same by way of sale or otherwise. भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करता है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की आधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961, के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी उज्र किया कि अप्रार्थी मोतीसिंह तत्समय वार्डपंच

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

था एवं जैर निगरानी पट्टा की बैठक कार्यवाही में अप्रार्थी ने बतौर सदस्य भाग लिया, जिसकी ताईद दिनांक 28.06.1991 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी मोतीसिंह की उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर से होती है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 की धारा 21 (8–क) के अनुसार "कोई भी पंच, किसी ऐसे प्रश्न पर, जिस पर पंचायत की बैठक में विकार किया जाने वाला है, मत नहीं देगा या उसमें किये जाने वाले विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, यदि वह विषय ऐसा है जिसमें इसके जनता पर लागु होने के अलावा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वह स्वयं या अपने भागीदार द्वारा कोई धन सम्बन्धी हित रखता हो"। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिविरूद्ध होने से हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा मिसल संख्या 64 दिनांक 20.01.1991, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 28.06.1991 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 मोतीसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 251 दिनांक 28.06.1991 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner